राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 11715/2023

1. असगर अली उस्ता पुत्र स्वर्गीय श्री अल्लाह बख्श उस्ता, आयु लगभग 50 वर्ष, रहमान मंजिल, उस्ता का मोहल्ला, वाटर स्टैंड के पास, बीकानेर।

2. सुशीला गोदारा पुत्री श्री मोती राम गोदारा, उम्र लगभग 39 वर्ष, घर संख्या 164, सेक्टर संख्या 6, हनुमानगढ़।

3. केदार प्रसाद मीना पुत्र श्री हीरा लाल, आयु लगभग 49 वर्ष, गाँव कंडोला, पोस्ट कल्याणपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जे. एल. एन मार्ग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक (एचआरडी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

4. प्राचार्य, वी. के. बी. गवर्नमेंट कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर।

5. प्राचार्य, एस. पी. सी. गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर।

6. प्राचार्य डॉ. बी. आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीगंगानगर।

7. प्राचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज, बारां----उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:- सुश्री वर्षा बिस्सा।

उत्तरदाताओं के लिए:- श्री कैलाश चौधरी।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

11/01/2024

1. प्रतिवादियों द्वारा शत्रुतापूर्ण भेदभाव किए जाने के कारण, असगर अली उस्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं, क्योंकि वे अपने समकक्षों के लिए पथ प्रदर्शक हैं, जो प्रासंगिक समय में उनके साथ व्याख्याता के रूप में संविदा पदों पर 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सेवाओं को सरसरी तौर पर इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि उसी पद के लिए नियमित नियुक्तियां की जानी थीं। याचिकाकर्ता की स्थिति भी उसके अन्य साथियों के समान ही है, जो अधिक आयु के होने के कारण विज्ञापित पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके।

2. याचिकाकर्ताओं का स्वीकृत मामला यह है कि वे स्थायी रूप से संविदात्मक पद पर बने रहने की मांग नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से जब उपयुक्त पदाधिकारी नियमित नियुक्ति के माध्यम से उपलब्ध हों।

3. हालांकि, याचिकाकर्ता की सीमित शिकायत यह है कि उसकी 10 साल से अधिक की सेवा की लंबी आयु को देखते हुए, यदि पद अभी भी खाली हैं और पर्याप्त उपयुक्त नियमित नियुक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे पहले की तरह अनुबंध के आधार पर सेवा में बने रहने के लिए वरीयता दी जानी चाहिए।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह चौथा प्रयास है। सबसे पहले एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 23488/2017 (डॉ. हेमेंद्र गर्ग बनाम राजस्थान राज्य और अन्य संबंधित मामले) में नियमित नियुक्ति न होने की स्थिति में संविदा पद पर बने रहने की मांग की गई थी। उक्त दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि रिट याचिका को 03.04.2019 के आदेश/निर्णय (अनुलग्नक-7) के तहत खारिज कर दिया गया था।

5. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 806/2019 (असगर अली उस्ता बनाम राजस्थान राज्य) के माध्यम से एक अंतर-न्यायालय अपील दायर की, जिसे दिनांक 17.07.2019 (अनुलग्नक-8) के निर्णय के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया, जो उपयुक्त होने के कारण, उसी के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"5. अपीलार्थी/याचिकाकर्ता अर्थशास्त्र में व्याख्याता के रूप में काम कर रहा था। रिकॉर्ड के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों द्वारा व्याख्याताओं के 41 नियमित पदों को भरा गया था। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि व्याख्याताओं (अर्थशास्त्र) की श्रेणी में और नियमित रिक्तियां मौजूद हैं या नहीं। इसलिए, सतीश शर्मा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, डी. बी. सिविल विशेष अपील (डब्ल्यू) (एसएलपी में पुष्टि) मामलों में इस न्यायालय की खंड पीठ के पूर्व निर्णयों के अनुरूप, उत्तरदाताओं को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता हैः-

I) अर्थशास्त्र में नियमित व्याख्याताओं के संवर्ग में रिक्तियों की संख्या का आकलन करें।

II) यदि सभी पद नहीं भरे जाते हैं, तो विचार करें और अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को अपने रोजगार में नियुक्त करें और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के उचित समापन पर नियमित रूप से प्रतिस्थापन पाए जाने तक उसे सेवा में जारी रखें।

III) राज्य, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संविदात्मक, अस्थायी कर्मचारी द्वारा या प्रतिस्थापन के आधार पर किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को नियुक्ति की पेशकश करके पदों को नहीं भरेगा।

6. वर्तमान अपील और लंबित आवेदनों का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।"

6. याचिकाकर्ता की खुशी अल्पकालिक साबित हुई, जिससे उसे निराशा हुई, जबकि कुछ अन्य संविदात्मक व्याख्याताओं को अनुबंध के आधार पर सेवा में बने रहने का लाभ दिया गया था, लेकिन उत्तरदाताओं को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, याचिकाकर्ता को अनुबंध पर वापस शामिल नहीं किया गया था। इसके बावजूद, इस पद पर एक रिक्ति थी क्योंकि नियमित पदाधिकारी उपलब्ध नहीं थे।

7. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका के माध्यम से डी. बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 388/2021 के माध्यम से तीसरा प्रयास किया गया। हालांकि, 08.07.2021 दिनांकित एक आदेश के माध्यम से, अवमानना याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह नहीं दिखाया गया था कि क्या व्याख्याताओं के नियमित पदों को भरने के बाद भी कोई पद खाली हैं और याचिकाकर्ता ने किसी भी मामले में, दो साल के अंतराल के बाद अवमानना अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया था और इसलिए, खंड पीठ ने कहा कि यह प्रतिवादियों की ओर से जानबूझकर अवज्ञा का मामला प्रतीत नहीं होता है।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि अवमानना याचिका को खारिज किए जाने के साथ, प्रत्यर्थियों ने यह धारणा जुटाई है कि अब याचिकाकर्ता को असहाय रखने का एकमात्र तरीका उसे लाभ नहीं देना था, भले ही रिक्तियां उपलब्ध हों।

डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले में उन्हें अनुबंध पर काम

करने वाले व्याख्याताओं को शामिल करने का निर्देश दिया गया था, जो रिक्तियों के अधीन थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील में डी. बी. अपील रिट संख्या 806/2019 ने अंतिम रूप ले चुकी है और इसे केवल छिपाने से इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

9. वास्तव में इस मामले को मैंने पहले भी 04.01.2024 को सुना था तब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः -

"याचिका में निहित विशिष्ट कथनों को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पूरे मुकदमे का पथप्रदर्शक होने के नाते, जो खंड पीठ की अपील संख्या 806/2019 में दिए गए खंड पीठ के फैसले के माध्यम से समाप्त हुआ, उसके अन्य सभी समकक्षों को इसका लाभ दिया गया है, लेकिन स्वयं याचिकाकर्ता को असहाय छोड़ दिया गया है। कॉलेज शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, राजस्थान सरकार, जयपुर के आयुक्त सुनवाई की अगली तारीख को वी. सी. के माध्यम से यह समझाने के लिए शामिल होंगे कि याचिकाकर्ता को इसी तरह का लाभ क्यों नहीं दिया गया है, जो उन्हें कई मुकदमों के माध्यम से इस न्यायालय में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। तदनुसार, प्रारंभिक शीघ्र सुनवाई आवेदन सं. 01/23 की अनुमति है और दूसरा शीघ्र सुनवाई आवेदन संख्या 02/23 को निष्फल आवेदन के रूप में निपटाया जाता है। मामले को 11.01.2024 को सूचीबद्ध करें।"

10. आज, मामले की सुनवाई दूसरे दौर में हो रही है क्योंकि प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने सुबह कहा कि संबंधित अधिकारी जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने का निर्देश दिया गया था, वह जयपुर पीठ में इस अदालत में व्यस्त था। इसलिए, मामले को दूसरे भाग में दोपहर के भोजन के बाद सुनवाई के लिए पारित कर दिया गया था। यहां तक कि साढ़े तीन बजे भी इस बात का कोई औचित्य सामने नहीं आ रहा है कि कॉलेज शिक्षा

विभाग के आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यवाही में क्यों शामिल नहीं हुए हैं।

11. यह न्यायालय वी. सी. में शामिल होने की जहमत न उठाकर उपरोक्त अधिकारी की ओर से जानबूझकर गैर-अनुपालन और लापरवाह रवैये को समझने में असमर्थ है और न्यायालय की महिमा के प्रति इस तरह की घोर अवहेलना की निंदा करता है।

12. जो भी हो, मेरे द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों में से किसी का भी जवाब सामने नहीं आ रहा है। किसी भी मामले में, डिवीजन बेंच अपीलीय फैसले को देखते हुए, मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि याचिकाकर्ता को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाए।

13. इस संबंध में, रिट याचिका की अनुमति है। यह न्यायालय भारी लागत लगाने के लिए इच्छुक था, लेकिन उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के गंभीर अनुरोध पर, ऐसा नहीं किया जा रहा है।

14. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को संविदात्मक नियुक्ति केवल तभी दी जाएगी जब सेवा की आवश्यकता हो और आज तक कोई रिक्ति मौजूद हो।

15. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि रिक्ति वास्तव में उपलब्ध है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा जोरदार तरीके से प्रचारित किया गया है और उसी रिक्ति के खिलाफ सेवाओं की आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र आज से 6 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।